appreciable. Any further expansion of the programme would not be feasible due to constraints of financial and organisational resources.

**देश में असिन्चित क्षेत्र तथा उनके विकास के निमित्त अनुदान**

1640. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में इस समय ऐसी कितनी भूमि है जहां सिंचाई की सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) क्या सरकार ने उत्पादन बढ़ाने के लिये उन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधाएँ उपलब्ध करने की एक योजना बनायी है;

(ग) यदि हाँ, तो चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में इस उद्देश्य के लिए विभिन्न राज्यों को कितने-कितने अनुदान दिये जायेंगे; और

(घ) प्रत्येक राज्य में इस समय कृषि योग्य कितनी भूमि असिंचित है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे)** : (क) अन्तिम वर्ष अर्थात 1966-67 के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 1809 लाख हैक्टारों के कुल कृषि-योग्य क्षेत्र में से 1534.2 लाख हैक्टार क्षेत्र में सिंचाई की सुविधायें उपलब्ध नहीं थीं।

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना के मसौदे में प्रस्ताव है कि 42.6 लाख हैक्टार अतिरिक्त क्षेत्र में मुख्य तथा मध्यम सिंचाई योजनाओं से और 4800 लाख हैक्टार क्षेत्र में लघु सिंचाई योजनाओं से सुविधायें दी जायें।

(ग) राज्य सरकारों को उनकी प्लान स्कीमों के लिए केन्द्रीय सहायता निर्मुक्त करने की पद्धति 1969-70 से परिवर्तित कर दी गई है। अब सहायता राज्यों को वार्षिक योजना के लिए एक ब्लाक ऋण तथा अनुदान के रूप में निर्मुक्त की जाएगी और वह किसी विशेष कार्यक्रम या योजना से सम्बन्धित नहीं होगी। प्रारूप चौथी पंचवर्षीय योजना में मुख्य तथा मध्यम सिंचाई योजनाओं के लिए 857 करोड़ रुपए के परिव्यय की और लघु सिंचाई योजनाओं के लिए 475.7 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी।

(घ) 1966-67 के अन्त तक प्रत्येक राज्य में उपलब्ध असिंचित कृषि योग्य भूमि का राज्य वार क्षेत्र प्रदर्शित करने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**गन्थालय में रख दिया गया। देखिये संख्या** LT—2717-70]

**वनस्पति घी, चीनी, मैदा आदि का उत्पादन करने वाले उद्योगों को लाइसेंस प्रणाली से छूट**

1641. **श्री यशवन्त सिंह कुशवाह** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार वनस्पति घी तथा चीनी और गेहूँ से मैदा, आटा तथा सूजी बनाने वाले उद्योगों को लाइसेंस प्राप्त करने की शर्त से छूट देने के प्रश्न पर विचार करने का है ताकि कृषि पर आधारित उद्योगों का सुगमता से विकास हो सके ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे)** : प्रशासनिक सुधार आयोग, औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति जांच समिति तथा योजना आयोग की सिफारशों की दृष्टि में सरकार ने हाल ही में औद्योगिक विकास सम्बन्धी अपनी नीतियों में आवश्यक परिवर्तन करने के बारे में विचार किया है। इस नीति के अनुसार उद्योगपतियों के लिये रोलर फ्लोर मिलें और वनस्पति के कारखाने स्थापित करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक होगा। जहां तक चीनी कारखाने लगाने का सम्बन्ध है, इन